

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 266/2024 अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र दयाराम नाबालिग जरीये कुदरती बली माता रामेती पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
2. मुकेश कुमार पुत्र दयाराम नाबालिग जरीये कुदरती बली माता रामेती पत्नी दयाराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीगण

बनाम

1. दयाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादीगण

श्री दिनेश भादू वकील प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 19-08-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 5 सी.एल.डी. के खाता स० 112 के प०न० 55/51 (87) के किला न० 16/4 की 0.0760 है० प०न० 55/59 (86) के किला न० 8/1, 9, 10, 11, 12, 13/1 की 1.265 है० कुल 1.3410 है० भूमि में से 1223/6705 हिस्सा, हरदासवाली बारानी के खाता स० 432 के खसरा स० 1005/223 की 0.7590 है० 1347/1143 की 3.0360 है० कुल 3.7950 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा व हरदासवाली बारानी के खाता स० 291 के खसरा न० 1117/312 की 6.262 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा की व इसी चक के तिसरे खाता सं. 130 के खसरा नं. 329/1 की 3.137 है० 329/3 की 3.845 है० 332 की 4.200 है० कुल 11.182 है० भूमि में से 1/32 हिस्सा की भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है, के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19-08-2024

.....को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर  
हनुमानगढ़

